आवश्यक/महत्वपूर्ण/समयबद्ध/द्वारा वि0वाहक

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स (परिवहन एवं आयुध इकाई)

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

पत्र संख्याः–लॉजि0–दस–51 / 2017(आरक्षी सवार पुलिस भर्ती) दिनांकः–जून 28 2018

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी,
मुरादाबाद।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
अलीगढ़ / आगरा / वाराणसी / बरेली / कानपुर नगर / मेरठ।

विषयः उत्तर प्रदेश घुडसवार पुलिस सेवा नियमावली–2016 के अनुसार निरीक्षक घुडसवार पुलिस के रिक्त 02 पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु बोर्ड प्रपत्र–22 में सूचना, अद्यावधिक चरित्र पंजिका व विभागीय कार्यवाही / आपराधिक प्रकरणों से सम्बन्धित सी0बी0सी0आई0डी / ए0सी0ओ0 / ई0ओ0डब्लू0 / सतर्कता अधिष्ठान आदि का अद्यावधिक विवरण व स्व0घोषणा पत्र उपलब्ध कराये जाने विषयक।

कृपया अवगत कराना है कि अधिसूचना संख्या– 808 / छः–पु–2–2016–1100(20)2015 दिनांक 16.03.2016 द्वारा उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली–2016 में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत निरीक्षक घुडसवार पुलिस के भर्ती / चयन वर्ष 01.07.2017 से 30.06.2018 तक के रिक्त 02 पद पर ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक / सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के अपेक्षानुसार पात्र कर्मियों की बोर्ड प्रपत्र–22 में सूचना, अद्यावधिक चरित्र पंजिका व विभागीय कार्यवाही / आपराधिक प्रकरणों से सम्बन्धित सी0बी0सी0आई0डी / ए0सी0ओ0 / ई0ओ0डब्लू0 / सतर्कता अधिष्ठान आदि का अद्यावधिक विवरण व स्व0घोषणा पत्र उपलब्ध कराया जाना है।

2– प्रश्नगत प्रकरण में उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस की अनन्तिम वरिष्ठता सूची संलग्न है, उक्त सूची को सभी उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस को प्रसारित करा दिया जाय तथा यदि किसी कर्मी को वरिष्ठता के संबंध में कोई आपत्ति हो तो उनकी आपत्तियां **दिनांक 05.07.2018 तक** प्रत्येक दशा में लॉजिस्टिक्स कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि आपत्तियों का निवारण का अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जा सके।

3– प्रोन्नति के लिए अई कार्मिकों के वर्ष 2007 से 2016 तक के सेवाअभिलेखों की प्रविष्टियां बोर्ड प्रपत्र–22 में अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट आफ डेट 01.07.2017 होगी। उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा प्राप्त बोर्ड प्रपत्र–22 व बोर्ड प्रपत्र को भरे जाने के संबंध में भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न है। बोर्ड प्रपत्र 22 में सूचना A3 पेज पर LandScape में माईकोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 Fonts में तैयार की जाय। बोर्ड प्रपत्र पर संबंधित लिपिक, प्रधान लिपिक, सीओ आफिस व पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर, नाम व मोहर अवश्य लगी होनी चाहिये।

4– अतः उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस की संलग्न अनन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रमांक–1 से 5 तक के उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस के बोर्ड प्रपत्र–22 में सूचना व सी0डी0, अद्यावधिक चरित्र पंजिका व विभागीय कार्यवाही/आपराधिक प्रकरणों से सम्बन्धित सी0बी0सी0आई0डी/ए0सी0ओ0/ई0ओ0डब्लू0/सतर्कता अधिष्ठान आदि का अद्वावधिक विवरण व स्व0घोषणा पत्र विशेष वाहक के माध्यम से दिनांक 10.07.2018 तक प्रत्येक दशा में लॉजिस्टिक्स कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त पत्र उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर लॉजिस्टिक्स यूनिट के सरकुलर पर भी अपलोड है।

संलग्नकःयथोपरि।

(डा0के0एस0 प्रताप कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–पीआरपीबी–चार–16(6)/2018 दिनांक 21.06.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–डीजी–चार–110(419)2001 दिनांक 26.0.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

अनन्तिम वरिष्ठता सूची उप निरीक्षक सवार पुलिस

क0सं0	पद नाम	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जाति	गृह जनपद	जन्मतिथि	भर्ती की तिथि	उप0निरी0 सवार पुलिस के पद पर पदोन्नति की तिथि	स्थायी करण की तिथ	वर्तमान नियुक्ति
1	उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस	792412614	लक्ष्मेश्वर प्रसाद	केहरी सिंह	चमार	एटा	05.09.1958	01.10.1979	08.12.2000	13.11.2005	अलीगढ
2		812014497	सुभाष चन्द्र शर्मा	रम्मन लाल शर्मा	ब्राहमण	बरेली	30.07.1962	16.06.1981	05.01.2001	26.10.2009	पुलिस अकादमी मुरादाबाद
3		852510388	प्रेम बाबू	बलवीर सिंह	कश्यप	अलीगढ़	05.06.1967	14.06.1985	03.11.2004	–	आगरा
4		882028231	रामकुमार	पच्चन	चमार	फतेहपुर	08.10.1969	09.02.1988	09.11.2005	–	वाराणसी
5		8722251249	भगवती प्रसाद	रोशन लाल	जाटव	मथुरा	25.01.1966	01.04.1987	05.12.2008	–	बरेली
6		872111301	इन्द्रपाल	महेन्द्र सिंह	जाटव	बुलन्दशर	10.08.1967	02.04.1987	28.11.2010	–	कानपुर नगर
7		802512640	कन्हैया लाल	इन्दल सिंह	अनुसूचित जाति	कानपुर देहात	21.02.1960	03.01.1980	20.06.2018	–	मेरठ
8		782510979	राज सिंह	सियाराम सिंह	सामान्य	आगरा	15.01.1959	16.01.1978	20.06.2018	–	मेरठ

(सुरेश चन्द्र [illegible])
एस0आई0 (एम) निरीक्षक (एम)

(एस0 के0 शुक्ला)
अपर पुलिस अधीक्षक, लॉजिस्टिक्स
चतुर्थ तल, जवाहर भवन, लखनऊ

प्रारूप 'क' स्वघोषणा–पत्र

मैं.........................(नाम/पदनाम......................... व ....पीएनओ)...........पुत्र.........निवासी............ थाना.............जनपद...............वर्तमान में(जनपद/इकाई)..................में नियुक्त हूँ, तथा घोषित करता हूँ कि–

(1)" मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एंव अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नही है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नही है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

(2) उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नही होगी । यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

(3) यदि सम्बन्धित आरक्षी आरमोरर के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एंव अपील)नियमावली–1991 के नियम–14(1)के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा।

(क) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एंव अपील)नियमावली–1991 के नियम– 14(1)के अन्तर्गत जनपद/इकाई ...... में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक '..........को आरोप पत्र दिया गया है।

(ख) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0.........................धारा '...............................थाना.........जनपद '............ में लम्बित है, जिसमें दिनांक ....को स्थानीय पुलिस अथवा जांच एजेन्सी ....द्वारा आरोप –पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में...................... स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोटः–स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट(x)दिया जाय।

<u>बोर्ड प्रपत्र-22 भरने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश</u>

<u>**महत्वपूर्ण :-**</u> **"बोर्ड प्रपत्र-22" को सावधानीपूर्वक सेवा अभिलेखों के आधार पर भरा जाय।**

प्रपत्र का कालम	भरने के सम्बन्ध में निर्देश
1	इस कालम में क्र0सं0 अंकित की जायेगी। क्र0सं0 आरोही क्रम में अंकित की जायेगी।
2	इस कालम में अभ्यर्थी से सम्बन्धित ज्येष्ठता सूची का क्रमांक अंकित किया जायेगा।
3	इस कालम में अभ्यर्थी का पी0एन0ओ0 नम्बर अंकित किया जायेगा।
4	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार नाम अंकित किया जायेगा।
5	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार पिता का नाम अंकित किया जायेगा।
6	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार जन्मतिथि अंकित की जायेगी।
7	इस कालम में कैडर अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस
8	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति के जनपद/इकाई का नाम अंकित किया जायेगा।
9	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति के जनपद/इकाई से सम्बन्धित परिक्षेत्र/अनुभाग का नाम अंकित किया जायेगा।
10	इस कालम में अभ्यर्थी की भर्ती का दिनांक अंकित किया जायेगा।
11	इस कालम में अभ्यर्थी की उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि अंकित की जायेगी। <u>**मौलिक नियुक्ति की तिथि-**</u> का आशय अभ्यर्थी के उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी अथवा यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी नियुक्ति की तिथि से है।
12	<u>**सेवा अवधि-**</u> का आगणन करने हेतु भर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की मौलिक नियुक्ति की तिथि घटाने पर उस भर्ती वर्ष के लिये कुल सेवा अवधि निकाली जायेगी।
13	
14	
15	इन कालमों में क्रमश: भर्ती/रिक्ति का वर्ष, इसके पूर्ववर्ती 10 वर्षों के वार्षिक गोपनीय मंतव्यों की अवधि एव वार्षिक गोपनीय मंतव्य की श्रेणी अंकित की जायेगी। उदाहरणार्थ : यदि किसी अभ्यर्थी का वर्ष 2005 का वार्षिक गोपनीय मंतव्य अलग-अलग अवधि के लिए दो अधिकारियों द्वारा अंकित किया गया है तो उसका विवरण निम्नवत अंकित किया जायेगा:- 2005- 01-01-2005 से 30-04-2005 अति उत्तम 01-05-2005 से 31-12-2005 अच्छा
16	
17	
18	
19	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी का किसी वर्ष का वार्षिक गोपनीय मंतव्य प्रतिकूल अंकित किया गया हो तो उसे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
20	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जाय।
21	इस कालम में अभ्यर्थी के प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत

22	इस कालम में भर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षो की सत्यनिष्ठा की निम्नांकित श्रेणी अंकित की जायेगीः- प्रमाणित, अप्रमाणित अथवा रोकी गई
23	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी की सत्यनिष्ठा अप्रमाणित अथवा रोकी गई है तो उससे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
24	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा अप्रमाणित अथवा रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
25	इस कालम में अभ्यर्थी के अप्रमाणित या रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरूद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
26	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
27	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
28	इसमें घटना का दिनांक अंकित किया जायेगा।
29	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- पदच्युत करना / सेवा से हटाना आदि।
30	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
31	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
32	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
33	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
34	इसमें घटना का दिनांक अंकित किया जायेगा।
35	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- अर्थदण्ड, परिनिन्दा प्रविष्टि आदि।
36	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
37	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
38	इसमें निलम्बन का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थः न-39/2012 दिनांक 30-06-2014
39	इसमें निलम्बन के आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थः अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में।
40	इसमें अपराध संख्या/धारा/थाना/जनपद अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थः 234/96, धारा 323/324 आदि, थाना-गाजीपुर, लखनऊ
41	इसमें आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
42	इसमें यदि न्यायालय का कोई निर्णय हो तो निर्णय का संक्षिप्त विवरण व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थः वाद मा0 न्यायालय एडीजे-5, लखनऊ के यहां एस0टी0 नं0-399/98 पर विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 30-04-2016 नियत है।
43	इसमें जॉच संगठन का नाम अंकित किया जायेगा। जैसे- विभागीय, सी0बी0सी0आई0डी0 आदि।
44	इसमें आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थः अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में।

45	इसमें अभ्यर्थी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
46	इसमें अभ्यर्थी के चयन, प्रोन्नति या सेवा के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: निलम्बन आदेश दिनांक 30-06-2014 अग्रिम आदेशों तक स्टे है।
47	इसमें वाद संख्या एवं मा0 न्यायालय के आदेश का दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, रिट याचिका संख्या: 3570(एस/एस)/2013, दिनांक 10-07-2014

<u>सामान्य निर्देश :-</u>

1- प्रत्येक कालम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा यदि किसी कालम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है तो उस कालम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाय।
2- उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 फान्ट में ही तैयार की जाय।
3- एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाय।
4- एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाय।
5- उपर्युक्त सूचनायें मात्र बोर्ड प्रपत्र को भरने के लिये मार्गदर्शन हेतु हैं। अतः अद्यावधिक सूचना सेवाभिलेखों एवं पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के दिशा–निर्देश के आधार पर भरी जायेंगी।
6- एक पृष्ठ पर एक अभ्यर्थी की ही सूचना अंकित की जायेगी।
7- अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

बोर्ड प्रपत्र–22

निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति हेतु चयन के लिये पात्रता सूची में सम्मिलित कार्मिकों का सेवा विवरण
भर्ती/रिक्ति का वर्ष–2017

क्र0 सं0	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	कैडर	वर्तमान तैनाती		भर्ती की तिथि	उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि	सेवा अवधि (भर्ती वर्ष 2017 के लिये)		
							जनपद/इकाई	परिक्षेत्र/अनुभाग			वर्ष	माह	दिन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	123	80211O772	रामकेवल कुशवाहा	भवानी प्रसाद	04–11–1958	उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस	लखनऊ	लखनऊ	20–09–1980	20–09–1980	33	9	12
2													
3													

क्र0 सं0	वार्षिक गोपनीय मंतव्य (भर्ती/रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षो के लिये)							सत्यनिष्ठा (भर्ती/रिक्ति के वर्ष से पूर्ववर्ती 10 वर्षो के लिये)			
	वर्ष	कब से	कब तक	वार्षिक गोपनीय मंतव्य की श्रेणी	प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करने का दिनांक	प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र	अप्रमाणित सत्यनिष्ठा संसूचित करने का दिनांक	अप्रमाणित सत्यनिष्ठा के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016	1–1–07 1–1–08 1–1–09 1–1–10 1–1–11 1–1–12 1–1–13 1–1–14 1–1–15 1–1–16	31–12–07 31–12–08 31–12–09 31–12–10 31–12–11 31–12–12 31–12–13 31–12–14 31–12–15 31–12–16	अच्छा प्रतिकूल अति उत्तम अच्छा अच्छा संतोषजनक अति उत्तम उत्तम उत्कृष्ट उत्कृष्ट	3–2–07	18–2–07	– अस्वीकृत – – – – – – – –	प्रमाणित अप्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित	3–2–07	– 18–2–07 – – – – – – – –	– अस्वीकृत – – – – – – – –
2											
3											

क्र0 सं0	दीर्घ दण्ड– नियम–14(1) (भर्ती/रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षो के लिये)						लघु दण्ड– नियम–14(2) (भर्ती/रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षो के लिये)					
	दण्डादेश की संख्या	दण्डादेश का दिनांक	घटना का दिनांक	दण्ड की प्रकृति (पदच्युत करना/सेवा से हटाना/वेतनमान में अवनति)	दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	दण्डादेश की संख्या	दण्डादेश का दिनांक	घटना का दिनांक	दण्ड की प्रकृति (परिनिन्दा प्रविष्टि/अर्थदण्ड आदि)	दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	पीएफ–04/10	9–4–10	4–2–09	01 वर्ष के लिये न्यूनतम वेतन पर प्रत्यावर्तित	25–6–10	अपील अस्वीकृत	1–द–15/04 2–द–78/07 3–द–35/08 4–द–44/10 5–द–59/11	17–8–04 4–4–07 9–5–08 18–9–10 30–5–11	2–1–09 3–2–10 4–3–11 5–4–12 6–5–13	परिनिन्दा अर्थदण्ड परिनिन्दा परिनिन्दा अर्थदण्ड	26–9–04	स्वीकृत दि0 4–11–04 – – – –
2												
3												

क्र0 सं0	वर्तमान निलम्बन		लम्बित आपराधिक प्रकरण			प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही/जांच (विभागीय/सीबीसीआईडी/भ्र0नि0सं0/ई0ओ0डब्लू0/ सतर्कता अधि0)			अभ्यर्थी के दण्ड/अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोग/प्रोन्नति आदि के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय/अधिकरण के आदेश	
	आदेश संख्या/दिनांक	निलम्बन के आरोप का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	अपराध संख्या/ धारा/ थाना/ जनपद	न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का दिनांक	न्यायालय का निर्णय व दिनांक	जांच संगठन का नाम	आरोप का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	अभ्यर्थी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक	आदेश का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	वाद संख्या एवं आदेश का दिनांक
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1	न–39/14 दि0 30–06–14	अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण	मु0अ0सं0 234/96 धारा 323/324 आदि थाना– गाजीपुर, लखनऊ	2–2–13	वाद मा0 न्यायालय एडीजे–5, लखनऊ के यहां एस0टी0 नं0–399/98 पर विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 30–04–16 नियत है।	विभागीय	अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में	2–10–13	निलम्बन आदेश दि0 30–06–14 अग्रिम आदेशों तक स्टे है।	मा0उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच रिट याचिका सं0 3570(एस/एस)/2013 दि0 10–07–14
2										
3										

नोटः–

1–उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइकोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 Fonts में ही तैयार की जाये।

2–एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाये।

3–एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+ Enter का प्रयोग किया जाये।

अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक
उ0प्र0, लखनऊ।